न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्ड़ल बोर्ड रीवा, जिला रीवा म0प्र0

कन्हैया लाल यादव तनय् श्री बिहारी यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम खैरी, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

..........आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

01. मीनाबाई यादव पत्नी रामकृष्ण यादव,

02. कौशिल्याबाई यादव पत्नी बुद्धराम यादव

दोनों निवासी ग्राम खैरी, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

.....अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर म0प्र0 प्रकरण क्र0 6 / अ–12 / 11–12

आदेश दिनांक 10.09.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

क– यह कि भूमि खसरा क्रमांक 426 / 1 रकवा 0.069 हे0 स्थित ग्राम खैरी–201, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर के भूमिस्वामी कमलेश पिता रामसेवक गुप्ता साकिन व्यंकटनगर थे। उक्त आराजी में से आवेदक / निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 27.03.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता कमलेश गुप्ता से 0.052हे0 भूमि क्रय किया गया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक / निगरानीकर्ता तहसील जैतहरी से उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा भूमि का नामान्तरण अपने नाम

प्रकरण क्रमांक- निग.-4217-दो/2012 जिला- अनूपपुर

कन्हैया लाल यादव विरूद्ध मीनाबाई यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कृष्णपाल सिंह एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री लालप्रताप सिंह उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील जैतहरी, जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक- 6/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय	

22/01/19

3

कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 28-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेकटर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 22/01/19
सदस्य